(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–63–एक/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–10–2001 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–699/अपील/2000–01

.....

श्री जगदीश सिंह तनय श्री पारखत सिंह .
निवासी–ग्राम सगौनी तहसील रामपुर बाघेलान,
जिला–सतना मध्यप्रदेश

------आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती भारती सिंह बेवा जयप्रताप सिंह
2– श्रीमती ज्योती सिंह पुत्री स्व0 जयप्रताप सिंह
3– कुमारी स्वाती सिंह पुत्री स्व0 जयप्रताप सिंह
4– कुमारी रीता सिंह पुत्री स्व0 जयप्रताप सिंह
5– कुमारी स्वेता सिंह पुत्री स्व0 जयप्रताप सिंह
तीन नाबालिग बली सरपस्त माता श्रीमती भारती सिंह
पत्नी स्व0 जयप्रताप सिंह
6– विजयप्रताप सिंह तनय राजकिशोर सिंह
7– अतुल सिंह
8– राहुल सिंह, पुत्रगण स्व0 श्री अजयपाल सिंह
9– श्रीमती सविता सिंह पत्नी स्व0 श्री अजयपाल सिंह
निगवासीगण–ग्राम छिबौरा तहसील रामपुर बाघेलान
जिला–सतना मध्यप्रदेश

------अनावेदकगण

....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवां द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–0–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम सगौनी स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 10 रकबा 6.00 एकड़ भूमि की प्रविष्टी को दुरूस्त किये जाने हेतु संहिता की धारा 115–116 के अंतर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार रामपुर बाघेलान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसील न्यायालय ने दिनांक 23.06.2000 को आदेश पारित करते हुये आवेदन निरस्त किया है। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान के समक्ष अपील पेश की । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहते आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 24.07.2001 के विरूद्ध कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। जिसे कलेक्टर सतना ने दिनांक 18.09.2001 को प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया। उसी दिनांक 18.09.2001 को अनुविभागीय अधिकारी ने अंतिम आदेश पारित कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश दिनांक 18.09.2001 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 25.10.2001 के द्वारा समाप्त की गई है। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 24.07.2001 के विरूद्ध कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर ने दिनांक 18.09.2001 को प्रकरण सुनवाई ग्राह्य हेतु किया जाकर अभिलेख मंगाने के आदेश दिये थे। परन्तु अनुविभागीय अधिकरी द्वारा उसी दिनांक को प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिये गये। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी मामले में कोई आदेश पारित कर दिया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिये । जब कलेक्टर द्वारा प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाकर अभिलेख मंगाये जाने के आदेश दिये गये थे, तब अनुविभागीय अधिकारी को उनके न्यायालय में प्रचलित अपील में अंतिम आदेश पारित न करते हुये वरिष्ठ न्यायालय कलेक्टर को प्रेषित करना था। इसी कारण अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के अनुचित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर यह पाते हुये कि वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पश्चात् निम्न न्यायालय द्वारा किये गये आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाते है और गुण–दोष पर कोई निष्कर्ष न निकालते हुये अपील समाप्त की गई। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता प्रकट नहीं होती । क्योंकि अभी कलेक्टर के समक्ष निगरानी लम्बित है जहॉ अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश पर निर्णय होना हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण कलेक्टर सतना को उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये गुण–दोषों पर निराकरण हेतु भेजा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,